



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052026-272946
CG-DL-E-29052026-272946

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2637]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2637]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2730(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.668(अ) दिनांक 09/02/2026, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 09/02/2026 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ड्रिल साइट BECH#04 से BECH#25 तक और BECH#232, 135,43,75 और 211 के संपर्क के साथ के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के इन्द्रप और चडासणा - गांव, तहसील - बेचराजी एवं जिला - मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 17/02/2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पाइपलाइन फॉर ड्रिल साइट BECH#04 से BECH#25 तक और BECH#232,135,43,75 और 211 के संपर्क के साथ के लिए

तालुका: - बेचराजी

जिला- मेहसाणा

राज्य- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे नं. / ब्लोक नं.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4		
1	इंद्रप	202	00	02	10
2		201	00	00	50
3		492	00	03	25
4		200	00	01	75
5		199	00	15	35
6		198	00	29	35
7		183	00	11	75
8		347	00	06	65
9		182	00	17	25
10		180	00	02	40
11		186	00	20	90
12		187	00	11	85
13		188	00	00	60
14		189	00	12	55
15		190	00	04	05
16		173	00	18	35
17		179	00	04	05
18		178	00	05	10
19		177	00	09	30
20		176	00	00	50
21		174	00	03	90

22		167		00	17	25
23		166		00	18	50
24		165		00	15	45
25		153		00	10	00
26		154		00	11	50
27		160		00	00	25
28		489		00	00	25
29		155		00	07	80
30		159		00	21	95
31	चडासणा	590.003		00	09	15
32		601		00	19	55
33		600		00	10	90
34		603		00	18	65
35		598		00	13	60
36		595		00	03	80
37		594		00	00	50
38		700		00	16	20
39		691		00	10	85
40		623		00	02	90
41		629		00	14	95
42		630		00	09	05
43		633		00	20	20
44		638		00	05	35
45		718		00	03	80
46		639		00	18	60
47		640		00	01	90
48		650		00	01	50
49		647/1		00	07	75
50		648		00	14	80
			कुल क्षेत्रफल		04-88-45	

[फा. सं. इएक्सपीएल -13011(26)/24/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी (ई-53166)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2026

S.O. 2730(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 668(E) Dated 09/02/2026 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 09/02/2026, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from Drill Site BECH#04 TO BECH#25 with connect of BECH#232,135,43,75&211 in INDRAP & CHADASANA villages, Taluka Becharaji & District Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 17/02/2026.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE**PIPELINE FOR DRILL SITE BECH#04 TO BECH#25 WITH CONNECT OF BECH#232,135,43,75 & 211**

TALUKA: - BECHARAJI

DISTRICT:-MEHSANA

STATE:-GUJARAT

Name of village	Survey No./ Block No.	Part if any	Area		
			Hq.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4		
1	202		00	02	10
2	201		00	00	50
3	492		00	03	25
4	200		00	01	75
5	199		00	15	35
6	198		00	29	35
7	183		00	11	75
8	347		00	06	65
9	182		00	17	25
10	180		00	02	40
11	186		00	20	90
12	187		00	11	85
13	188		00	00	60
14	189		00	12	55
15	190		00	04	05
16	173		00	18	35
17	179		00	04	05
18	178		00	05	10
19	177		00	09	30

20		176		00	00	50
21		174		00	03	90
22		167		00	17	25
23		166		00	18	50
24		165		00	15	45
25		153		00	10	00
26		154		00	11	50
27		160		00	00	25
28		489		00	00	25
29		155		00	07	80
30		159		00	21	95
31	Chadasana	590.003		00	09	15
32		601		00	19	55
33		600		00	10	90
34		603		00	18	65
35		598		00	13	60
36		595		00	03	80
37		594		00	00	50
38		700		00	16	20
39		691		00	10	85
40		623		00	02	90
41		629		00	14	95
42		630		00	09	05
43		633		00	20	20
44		638		00	05	35
45		718		00	03	80
46		639		00	18	60
47		640		00	01	90
48		650		00	01	50
49		647/1		00	07	75
50		648		00	14	80
			Total Area		04-88-45	

[F. No. Expl-13011(26)/24/2025-EXPL-PNG(E-53166)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.